CA PRADEEP JAIN

Your Need Our Concern

Corona के मुकाबले के लिए गवर्नमेंट ने Lockdown का निर्णय लिया था| साथ में ही करदाताओं की मुश्किलों को ध्यान में रखकर काफी सारे कदम भी उठाए गए हैं| उसी कड़ी में सीजीएसटी जोधपुर कमिश्नर ने हर डिवीजन में अधिकारियों को नामित किया है जो कि इस मुश्किल समय में व्यापार व उद्योग जगत को आने वाली मुश्किलों का समाधान करेंगे| इस Trade notice number 1/2020 dated 31.3.2020 में लिखा गया है कि लॉक डाउन के कारण सीजीएसटी विभाग के सभी ऑफिस बंद है परंतु आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व परिवहन हो रहा है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत करदाता को आ रही है या फिर कोई आवश्यक कार्य नियत समय तक होना है तो अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है| सभी अधिकारी "वर्क फ्रॉम होम" कर रहे हैं| संबंधित अधिकारी को फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दिए गए हैं| इस तरह के कदम का हम सभी स्वागत करते हैं. साथ ही SGST डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि इसी तरह का सर्कुलर उनकी तरफ से भी जारी होना चाहिए|

साथ में सरकारी अधिकारी दिन-रात कार्यरत हैं| इसकी पुष्टि कल रात ऑर्डिनेंस और रिफंड से संबंधित सर्कुलर जारी करने से हुई है. Custom व DGFT के नोटिफिकेशन तथा सर्कुलर भी आ रहे हैं.

सबका विश्वास scheme में टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि SVLDRS-2 जारी होने के 30 दिन तक की थी परंतु अब उसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है| Scheme में डिक्लेरेशन जमा कराने की तिथि 15/1/ 2020 तक थी तथा कर जमा कराने की कोई आखिरी तारीख नहीं थी| हालांकि पोर्टल पर आखिरी तारीख 31.3.2020 आ रही थी| वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी कहा था कि पैसा जमा कराने की तारीख 31.3.2020 से बढ़ाकर 30.6.2020 तक की जा रही है| परंतु 31.3.2020 की तारीख का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था| पर अब इस ऑर्डिनेंस फाइनेंस एक्ट में बदलाव करके इस की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक कर दी गई है. SVLDRS-2 को जारी करने की तिथि की भी घोषणा की गई है| उद्योग व व्यापार जब इसका तहे दिल से स्वागत करता है|

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.